हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अपील संख्या 55/2022
बअनवान श्रीमती मोहनीदेवी बनाम गेबाराम वगै.

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 04.11.2022

उपस्थिति

3. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी
4. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री कैलाश पुरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि सरहद मौजा ईटवाया पटवार क्षेत्र पादरू में कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1577 रकबा 105.07 बीघा वर्तमान समरूपी रकबा 17.0535 हैक्टयर विप्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 01 व 04 के हकपुर्वाधिकारी फुसा वल्द वना के एकल खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की पैतृक कृषि भुमि अवस्थित रही है। उपरोक्त आराजी में प्रार्थीनी के हकपुर्वाधिकारी पिता फुआ का सम्पूर्ण हिस्सा मालिकाना स्वामित्व की रही है, प्रार्थीनी के हकपुर्वाधिकारी फुआ के हिस्से की उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीनी का 1/4 हिस्सा प्रथम श्रेणी की पुत्री वारिस होने से जन्म से ही नियत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते रेस्पोडेंटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेसपोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश 212 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्तकारी अधिनियम के आवेदन में पारित किया गया है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचितण अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलांट के कब्जा काश्त में रेस्पोडेंटस द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील अपीलांटस के शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 को अपास्त किया जाता है, उभयपक्ष को पावंद किया जाकर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कंन्फर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 04.11.2022 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर